144

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 89–दो/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–10–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के प्रकरण क्रमांक 104/12–13/अपील

बलवीर सिंह दांगी पुत्र श्री कामता प्रसाद दांगी
निवासी ग्राम पैता, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

आत्माराम अहिरवार पुत्र श्री मटुंवा अहिरवार
निवासी ग्राम खिरियानाई कृषक ग्राम कल्याणपुरा
खुर्द, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

–अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 104/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 2 नामांतरण पंजी क्रमांक 08 दिनांक 14–8–2002 आदेश दिनांक 15–9–2002 द्वारा ग्राम पंचायत गुलमऊ तहसील दतिया के सरपंच द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया गया । इस आदेश से दुखी होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,

दतिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 104/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 द्वारा अनावेदक की अपील धारा 5 के आवेदन पर स्वीकार की गई एवं प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय में उन्हें हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी सूचना हीं दी गई ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथा मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर